न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2018 G.C.M.S. No. 2018/00348 दर्ज दिनांक : 21.05.2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेण्ट
1. परखा पुत्र राजीया 2. महादेवा पुत्र राजीया जाति मेघवाल निवासी रोपसी तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1 हेमाराम पुत्र पुनमाजी 2 भंवरराम पुत्र प्रभुजी 3 ओवाराम पुत्र प्रभुजी 4 रमेश पुत्र प्रभुजी 5 पावु पुत्र प्रभुजी 6 काली पुत्री प्रभुजी 7. छगन पुत्री प्रभुजी 8 हिदी पुत्री प्रभु जी 9 पार्वती पुत्री प्रभु जी 10 फुली पुत्री गणेशा 11 मफी पुत्री गणेशा जाति पुरोहित, निवासी रोपसी तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसील महोदय रानीवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक भीनमाल मुख्य आवास सांचोर दिनांक 19.10.1977 राजस्व प्रकरण संख्या 336/1977 अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 46 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकार बनाम परखा आदि एवं सपठित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित :–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 29.10.2024

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा वाद संख्या 336/77 बउनवान सरकार बनाम परखा में पारित आदेश दिनांक 19.10.1977 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रोपसी तहसील भीनमाल खसरा नंबर 31 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार अपीलाण्ट परखा व महादेवा है तथा रेस्पोडेन्ट प्रभू पुत्र पूनमा, हेमा पुत्र पूनमा, गणेशा पुत्र पुनमा द्वारा कब्जा किया गया है। एंव कानूनन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है। अत उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज की जावे। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उसके पश्चात दिनांक 19.10.1977 को अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही होना बताकर एकपक्षीय जैर अपील निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को पढने में कानूनी भूल की है। पूर्व खसरा नम्बर 31 के रिसेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 73 व 74 कायम किये गये है। जिस पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है तथा अपीलांट ही काविज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पोडेन्ट हेमा, गणेशा, प्रभु का कब्जा काश्त कभी भी उक्त आराजी पर नहीं रहा है। आराजी का हस्तानान्तरण सवर्ण जाति के नाम से होने पर ही उक्त धारा के प्रावधान लागू होते है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी का रेस्पोडेन्ट को हस्तानान्तरित किया जाना तथा उन्हे कब्जा सुपुर्द किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सावित नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात बनाये सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के विपरित बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। साथ ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि दिनांक 21.3.2018 को अपीलांट उक्त कृषि भूमि में साफ–सफाई करवा रहे थें, तब पटवारी हल्का ने मौके पर आकर कहा कि यह सरकार की भूमि है तथा भूमि का फैसला सरकार के पक्ष में हो चुका है। जिस पर अपीलांट दिनांक 21.03.2018 को भीनमाल आकर अधिवक्ता से पूछताछ की। तब मालूम हुआ कि पुराना रिकॉर्ड जालोर में जमा हो चुका है। जिस पर दिनांक 22.03.2018 को नकल आवेदन कर नकल प्राप्त की। अपीलांट वृद्ध एवं बीमार होने के कारण अपील करने में विलंब हुआ। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रोपसी तहसील भीनमाल खसरा नंबर 31 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा पर रेस्पोडेन्ट प्रभू पुत्र पूनमा, हेमा पुत्र पूनमा, गणेशा पुत्र पुनमा द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा कर काश्त की जा रही है एंव कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति का व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है। अत उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा है जो कि सवर्ण जाति का है, एवं कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर सवर्ण जाति का व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। साथ ही अपीलांट द्वारा दिनांक 19.10.1977 को पारित निर्णय व डिक्री की अपील दिनांक 21.05.2018 को लगभग 48 वर्ष के दीर्घ विलंब से पेश की हैं तथा विलंबकाल का कोई संतोषजनक एवं सद्भाविक कारण नहीं बताया है। अतः अपील म्याद बाहर होने से भी काबिल खारिज है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तोवजात एवं संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि दिनांक 21.3.2018 को अपीलांट उक्त कृषि भूमि में साफ–सफाई करवा रहे थें, तब पटवारी हल्का ने मौके पर आकर कहा कि यह सरकार की भूमि है तथा भूमि का फैसला सरकार के पक्ष में हो चुका है। जिस पर अपीलांट दिनांक 21.03.2018 को भीनमाल आकर अधिवक्ता से पूछताछ की। तब मालूम हुआ कि पुराना रिकॉर्ड जालोर में जमा हो चुका है। जिस पर दिनांक 22.03.2018 को नकल आवेदन कर नकल प्राप्त की। अपीलांट वृद्ध एवं बीमार होने के कारण अपील करने में विलंब हुआ। अतः विलंब सद्भाविक होने से विलंबकाल माफ किया जावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार भीनमाल द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 11 के पिता के विरूद्ध तत्कालीन सहायक कलक्टर भीनमाल के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय के प्रकरण में अपीलांट स्वयं बतौर पक्षकार संयोजित थें। अतः अपीलांट का यह कहना कि उन्हें उक्त निर्णय की दिनांक 22.03.2018 तक कोई जानकारी नहीं थीं। पूर्णतया मनगढ़ंत, अविश्वसनीय एवं आधारहीन कथन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.1977 को पारित किया गया था तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार भीनमाल के पत्रांक 1001 दिनांक 13.12.1977 के अनुसार प्रकरण में नामांतरण संख्या 187 दिनांक 28.11.1977 द्वारा वादग्रस्त आराजी न्यायालय निर्णय की पालना में सिवायचक दर्ज की जाकर कब्जा सरकार प्राप्त कर लिया गया। अर्थात् दिनांक 28.11.1977 को ही अपीलाधीन निर्णय की पालना की जाकर मौके से गैरसायलान को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। जिससे यह विश्वास करने का सहज कारण है कि उक्त कार्यवाही की गैरसायलान को भली–भांति जानकारी थीं। अतः हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के लगभग 45 वर्ष के अत्यंत दीर्घ विलंब के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

पश्चात अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं तथा अपीलांट द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस तर्कसंगत एवं विश्वसनीय तथा सद्भाविक कारण प्रदर्शित नहीं किए हैं। लिहाजा विलंबकाल को माफ नहीं किया जा सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा अपील अपीलांट अपील के लिए निर्धारित कालावधि से बाधित होने के कारण खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट कालावधि बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली